

जनपद बाराबंकी

दिनांक 02.09.2024

थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, कब्जे से चोरी के 16 अदद मोबाइल फोन व एक अदद तमंचा बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ० अखिलेश नारायण सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री हर्षित चौहान के पर्यवेक्षण में थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्टेलीजेन्स के आधार पर दिनांक 01.09.2024 को प्रकाश में आये 02 शातिर चोरों 1. दीपक कुमार यादव पुत्र मनोज कुमार 2. नीलकमल यादव पुत्र समरेश कुमार निवासी गण ग्राम दुराजपुर मजरे इब्राहिमाबाद थाना कोठी जनपद बाराबंकी को भानमऊ-गंगागंज रोड पर नहर पुलिया से गिरफ्तार कर चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 16 अदद चोरी के विभिन्न कम्पनियों के नये मोबाइल फोन व एक अदद अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद कर थाना कोठी पर मु०अ०सं० 323/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण का एक गैंग है जो आर्थिक लाभ हेतु मोबाइल फोन जैसी चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा जनपद बाराबंकी के थाना कोठी क्षेत्र में दिनांक 30/31.08.24 की रात्रि में शिवचन्द्र पुत्र राकेश कुमार निवासी समोसराय थाना कोठी जनपद बाराबंकी की भानमऊ चौराहे के पास स्थित आर्यन मोबाइल की दुकान की दीवाल काटकर मोबाइल फोन चोरी करने की घटना को स्वीकार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोठी पर मु०अ०सं० 320/2024 धारा 305(a)/331(4) बी.एन.एस. पंजीकृत है। बरामद मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है, जिसको बेचने हेतु अभियुक्तगण, भानमऊ-गंगागंज रोड पर नहर पुलिया पर ग्राहक की तलाश में बैठे थे कि उसी समय पर पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. दीपक कुमार यादव पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम दुराजपुर मजरे इब्राहिमाबाद थाना कोठी जनपद बाराबंकी
2. नीलकमल यादव पुत्र समरेश कुमार निवासी ग्राम दुराजपुर मजरे इब्राहिमाबाद थाना कोठी जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

1. 16 अदद चोरी के विभिन्न कम्पनियों के नये मोबाइल फोन-
(1- मोबाइल ItelA47, 2- ItelL5503 3. Redmi 13 C 4- Realme C 61, 5-Poco C-65, 6-SMART 8, 7- Redmi 13 C, 8- NARZO N 63, 9-Poco C 65, 10-Lephone W 2, 11-Poco C 61 I, 12-Realme C 61, 13-Redmi 12, 14-Poco M 6 Pro, 15-Poco M 6 Pro, 16-Infinix Smart Q)
2. एक अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर (अभियुक्त दीपक के कब्जे से)

अनावरित अभियोग-

मु०अ०सं० 320/2024 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी.एन.एस. थाना कोठी जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० संजय यादव थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० जलालुद्दीन, हे०का० भानु प्रताप थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
4. का० राजेश्वर सिंह, का० योगेंद्र यादव, व का० मो० अफजल थाना कोठी जनपद बाराबंकी।